उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 संख्या 760/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः: दिनांकः: 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, ''उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं० ०६ वर्ष 2017)'' की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 10 वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (क) मुख्य आयुक्त राज्य कर;
- (ख) आयुक्त राज्य कर;

9. 3

- (ग) विशेष आयुक्त राज्य कर;
- (घ) अपर आयुक्त राज्य कर;
- (ङ) संयुक्त आयुक्त राज्य कर;
- (च) उपायुक्त राज्य कर;
- (छ) सहायक आयुक्त राज्य कर;
- (ज) राज्य कर अधिकारी: और
- (झ) राज्य कर निरीक्षक।

2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना एतद्द्वारा विखण्डित समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 <mark>/6 % 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तद्दिनांक ।</mark>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेत्।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, देहराद्व

(हीरा सिंह बसेडा) अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.760/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/ 2017 dated 22 September, 2017 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No.760/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 72 September, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the "the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)" read with section 21 of the General Clause Act, 1904 (Act no. 10 of 1904), the Governor is pleased to allow to appoint the following officers to carry out the purposes of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 and rules made there under-

- (a) Chief Commissioner State tax:
- (b) Commissioner State tax;
- Special Commissioners State tax; (c)
- (d) Additional Commissioners State tax:
- (e) Joint Commissioners State tax:
- (f) Deputy Commissioners State tax;
- Assistant Commissioners State tax; (g)
- (h) State tax officer; and
- (i) State tax Inspector.

The Governor is also directed that the earlier issued notification in this regard 2. shall be deemed hereby rescind.

> (Radha Raturi) Principal Secretary